भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2431

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: उपभोक्ता रुपए में किसानों की हिस्सेदारी

2431. श्री दुरई वाइकोः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हाल के कार्य-पत्रों की जानकारी है, जिनमें यह दर्शाया गया है कि फलों, सब्जियों के संबंध में उपभोक्ता रुपए में किसानों का हिस्सा बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यपत्र जिसका शीर्षक है "भारत में सब्जियों की मुद्रास्फीतिः टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) एक अध्ययन" में अनुमान लगाया गया है कि ग्राहक के रुपये में किसानों की हिस्सेदारी टमाटर के लिए लगभग 33%, प्याज के लिए 36% और आलू के लिए 37% है। आरबीआई के एक अन्य कार्यपत्र "भारत में फर्लो का गतिशील मूल्य और मूल्य श्रृंखला में, घरेलू मूल्य श्रृंखला में ग्राहक के रुपये में किसानों की हिस्सेदारी केले के लिए लगभग 31%, अंगूर के लिए 35% और आम के लिए 43% अनुमानित है। विपणन चैनलों की संख्या, उच्च विपणन लागत एवं मुनाफा और अधिक नाशवान प्रकृति जैसे कारक किसानों द्वारा मूल्य प्राप्ति को प्रभावित करते हैं।

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ, सरकार की प्राथमिकता कृषि उपज के विपणन में सुधार और किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु फसलोपरांत हानि को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करना है। यद्यपि यह राज्य का विषय है, फिर भी सरकार

राज्य सरकार के विपणन कानूनों और नीतियों में सुधार के माध्यम से किसानों के लिए सुलभ प्रतिस्पर्धी बाजारों जैसे प्रत्यक्ष विपणन, निजी बाजार इत्यादि के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का शुभारंभ किया, ताकि किसान विभिन्न बाजारों तक इलेक्ट्रानिक पहुंच के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अपनी उपज की बिक्री अधिक खरीददारों को कर सकें। इसके अतिरिक्त, किसानों, विशेषतः छोटे और सीमांत किसानों की विपणन चुनौतियों के समाधान के उपाय के रूप में, सरकार ने 2020 में बाजार लिंकेज दृष्टिकोण आधारित 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन योजना का शुभारंभ किया।

सरकार 1,00,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) को भी कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य ब्याज छूट और वितीय सहायता के माध्यम से भंडारण सुविधा और सामुदायिक कृषि परिसंपतियों सहित फसलोपरांत बाजार अवसंरचना के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है।

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत, सरकार किसानों की उपज का मूल्य प्राप्ति बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि और फसलोपरांत हानि को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की दीर्घकालिक पद्धतियों के तहत, सरकार सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना की लागत पर 35% की दर से और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना की लागत पर 50% की दर से और साथ ही एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपये और स्टैंडअलोन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध है।

******